न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-160RAAJodhpur2022-100RTA225 Jugataram ors Vs Gordhanram

01. जुगताराम पुत्र मूलाराम
02. देदाराम पुत्र मूलाराम
03. पोकरराम पुत्र मूलाराम
04. सुंगनाराम पुत्र मूलाराम

सभी जातियान् जाट, निवासी- ग्राम रूपाणा-जैताणा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

गोरधनराम पुत्र तेजाराम जाति जाट, निवासी- नाथड़ाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर, हाल ग्राम रूपाणा-जैताणा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 25 अप्रैल 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 541/2020 जुगताराम व अन्य बनाम गोरधनराम

उपस्थित-

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 04 जुलाई 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 541/2020 अनवान जुगताराम व अन्य बनाम गोरधनराम में पारित आदेश दिनांक 25 अप्रैल 2022 के खिलाफ आलोच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 02 मई 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 214 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं. 215 रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा वाके मौजा रूपाणा-जैताणा, तहसील लोहावट के संबंध धारा 88 एवं 188 आर.टी. एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के मौका रिपोर्ट के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी थी, लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने के साथ ही बिना बहस सुने प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जो विधिक न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध होने से अपीलाधीन आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का दिनांक 25.04.2022 की रात को ट्रांसफर हो गया था, दिनांक 26.04.2022 को अखबार में भी ट्रांसफर लिस्ट आ गयी थी, फिर भी उन्होने दिनांक 28.04.2022 को पीछे की तारीख दिनांक 25.04.2022 लगाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि नैतिकता के आधार पर ट्रांसफर होने के बाद कन्टेसटेड मामले में बैक डेट लगाकर आदेश पारित नहीं करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लिये आवश्यक तत्वों, प्रथमदृष्टया प्रकरण, तुलनात्मक सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु पर विचार किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संवतः 1999 की खतौनी पेश की, जिसमें उनके पूर्वज मूला का 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा मौके पर उनकी ढाणी के फोटो पेश किये तथा रेस्पोडेंट अप्रार्थी ने जबरदस्ती पूरी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करने की धमकी देने पर अपीलांट्स पोकरराम के लड़के गोरधनराम ने पुलिस थाना में रिपोर्ट की, लेकिन पुलिस ने गोरधनराम के प्रभाव में आकर अपीलांट पोकरराम के लड़के गोरधनराम को धारा 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया एवं उप जिला मजिस्ट्रेट लोहावट ने उसे 06 माह के लिए शांति बनाये रखने के लिए पांच हजार रुपये के जमानत एवं मुचलके पेश करने पर रिहा किया गया। अपीलांट्स ने अपने दावे के साथ संवतः 2015 की बीघोड़ी लगान की रसीद पेश की, जिसमे मूला के नाम जारी हुआ है एवं गिरदावरी संवतः 2020 तक मूला की काश्त दर्ज है। इन दस्तावेजो से प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलांट्स के पक्ष में साबित है। अपीलांट्स इस भूमि के दक्षिणी आधे हिस्से पर काबिज है, उनकी रहवासीय ढाणी बनी हुई है। अतः तुलनात्मक सुविधा उनके पक्ष में है। अपीलांट्स को जबरदस्ती बेदखल किया जाता है तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। सन् 1999 की खतौनी में मूला 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज है। उस इन्द्राज को सन् 2012 के सेटलमेंट में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या पंजीकृत दस्तावेज में बिना परिवर्तन करने का सेटलमेंट कर्मचारियों को कोई अधिकार नही था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी बिंदु पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय प्रकरण नंबर भी गलत दर्ज किये गये है, जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साबित होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा जल्दबाजी एवं ट्रांसफर होने के बाद बैक डेट में निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट अप्रार्थी की खातेदारी विधिक आधार पर दर्ज की गई या नहीं, इस पर विचार किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है। अप्रार्थी ने अपने जवाबदावे एवं जवाब प्रार्थना पत्र में संवतः 2012 में भू-प्रबंध से पहले अपने मामा जेठा व किस्तुरा द्वारा तेजाराम को जुबानी क्रय करने के आधार पर नाम दर्ज करने का कथन किया है, जबकि भू-प्रबंध अधिकारियों को जुबानी विक्रय के आधार पर पुरानी प्रविष्टि को बदलने का अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त इस भूमि में 1/2 हिस्सा मूला का था, जिसके बेचान करने का सहखातेदारों को अधिकार नहीं था। इस प्रकार विधि विरुद्ध इन्द्राज के आधार पर अपीलांट्स के पक्ष में प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु नहीं मानकर विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि की है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 अप्रैल 2022 को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट्स-प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपाणा-जैताणा की भूमि खसरा नं. 215 के 1/2 हिस्सा एवं खसरा नं. 214 के दक्षिणी भाग पर अपीलांट्स के कब्जा काश्त में रेस्पोडेंट् अप्रार्थी किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने के लिए पाबंद किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया खतौनी संवतः 1999 में मूला का नाम भूल से दर्ज कर दिया गया था, मौके पर मूला का कोई कब्जा काश्त नहीं था।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पुराने खसरा नं. 242 एवं 243 {जिनसे खसरा नं. 214 एवं 215 बने} एवं उसमें बनी हुई ढाणी पर जेठा किस्तुरा पिसरान् देराज का ही कब्जा काश्त था। जेठा एव किस्तुरा द्वारा उक्त भूमि का कब्जा काश्त अपने भाणजा तेजा पुत्र मेगा को सुपुर्द कर दिया। तेजा ही उस ढाणी में रहता व काश्त करता था। वक्त पैमाईश व लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संवतः 2012 में उक्त भूमि पर तेजा का कब्जा काश्त था तथा उसके नाम से ही पर्चा लगान जारी हुआ तथा खतौनी बंदोबस्त 2012 से 2031 में तेजा पुत्र मेगा के नाम दर्ज कर दी गई, तब से लेकर आज दिन तक पहले तेजा के नाम उसके देहांत के बाद अप्रार्थी के कब्जा काश्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि अपनी हिस्सेदारी दर्ज करवाने के कतई हकदार नहीं है। विवादित भूमि खसरा नं. 215 में ढाणीयां बनी हुई है। खसरा नं. 214 में अप्रार्थी का कब्जा काश्त कदीमी पीढियों से लगातार चला आ रहा है। अपीलांट्स द्वारा लंबी अवधि बाद बिना कब्जा काश्त के मनंगढंत तथ्यों के आधार पर वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2016{2} पेज 1323, आर.आर.टी. 2011{1} पेज 612, आर.आर.डी. 2000 पेज 276, आर.आर.टी. 2018{1} पेज 405 की न्यायिक नजीरे पेश की।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख खतौनी बंदोबस्त संवतः 2012-2031 ग्राम लोहावट जाटान तहसील फलोदी के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 214 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 215 रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा वक्त सेटलमेंट तेजा वल्द मेगा कौम जाट,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सा. देह बापीदार के नाम से दर्ज रही है जो तेजाराम की फौतेदगी उपरांत उनके अन्य वारिसान् द्वारा हकतर्क किये जाने पर नामांतरकरण संख्या 542 के जरिये वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट गोरधनराम पुत्र तेजाराम के नाम से दर्ज चली आ रही है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक रेस्पोडेंट के नाम से कृषि विद्युत कनेक्शन एवं घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी हुए है।

इसके विपरीत अपीलांट पक्ष द्वारा वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर कब्जे काश्त के संबंध में किसी तरह का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। लिहाजा कब्जे काश्त के अभाव में तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के अनुसरण में रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना कानूनन विधिसम्मत नहीं है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष मे नहीं पाये जाकर रेस्पोडेंट के पक्ष में पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 अप्रैल 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.07.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर